"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2014—भाद्र 21, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-13/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. ए. सी. एस. राव, मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना रायपुर वृत्त को दिनांक 11-08-2014 से दिनांक 14-08-2014 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09-10 अगस्त 2014 एवं दिनांक 15 से 18 अगस्त 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राव, मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना, रायपुर वृत्त के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. अवकाश अवधि में श्री राव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्रमांक 520/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 15, 16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्रमांक 522/485/अव./2010/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 04-08-2014 से 08-08-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 03, 09, 10-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्रमांक 550/772/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 21-04-2014 से 26-04-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19, 20, 27-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्रमांक 552/2185/अव./2012/1-8/स्था.— श्री ए. के. सिन्हा, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 06-08-2014 से 14-08-2014 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. के. सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्रमांक 554/945/अव./2011/1-8/स्था.— श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 15, 16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक 556/475/अव./2010/1-8/स्था.— श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 15, 16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक 558/3292/अव./2007/1-8/स्था.— श्री चन्द्रशेखर ओंकार, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 15,16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर ओंकार आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चन्द्रशेखर ओंकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर ओंकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्रमांक 560/01/अव./2011/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 28-07-2014 से 08-08-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27-07-2014 एवं 09, 10-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्रमांक 562/504/अव./2009/1-8/स्था.—श्री राम प्रसाद राठिया, अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 19-08-2014 से 23-08-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17, 18, 24-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राम प्रसाद राठिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राम प्रसाद राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्रमांक 574/978/अव./2009/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 15, 16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक 602/3246/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती करूणा पाण्डेय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 11-08-2014 से 14-08-2014 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09, 10, 15, 16, 17, 18-08-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती करूणा पाण्डेय आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती करूणा पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती करूणा पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 1-3/2013/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा के श्री एस. एल. आदिले, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (भारतीय वन सेवा शाखा) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक/3988/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 308/डी-15/116/2003-04, दिनांक 13 मई, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अंक एवं विराम चिन्ह् "31-03-2014" के स्थान पर, अंक, विराम चिन्ह् एवं शब्द "01-04-2014 से 31-03-2016" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक/3988/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3988/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 22-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 22nd August 2014

No./3988/F-15/116/Part-II/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Department's Notification No. 308/D-15/116/2003-04, dated 13th May, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said notification.—

For the figures and punctuations "31-03-2014", the figures, punctuations and word "01-04-2014 to 31-03-2016" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 अगस्त 2014

क्रमांक/6414/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की [illegible] के [illegible] प्राधिकृत [illegible]	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
राजनांदगांव	मोहला	रेंगाकठेरा प. ह. नं. 09	0.06[illegible]	कार्यपालन [illegible] विभाग, [illegible] (छ.ग.)	[illegible]

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में [illegible] सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अगस्त 2014

क्रमांक/6415/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	मोहला	भालापुर प. ह. नं. 20	0.105	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, राजनांदगांव राजनांदगांव (छ.ग.)	भालापुर, विजयपुर कोतरी नदी उच्चस्तरीय पुल पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्रमांक/4043/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	देवडोंगर	1.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक 672/भू-अर्जन/2014/प्र.क्र. 1 अ/82 वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-चंगोरी, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.922 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
441/2	0.006
441/3	0.012
443/2	0.012
443/3	0.012
444	0.008
457/2	0.012
469/1	0.004
470	0.008
475/1	0.020
527/4	0.008
475/2	0.008
475/3	0.008
476/1	0.008
477/1	0.069
486/1	0.006
543/3	0.030
486/2	0.006
487	0.008
489/2	0.004
496	0.004
500	0.073
498/1	0.031
498/2	0.030
501	0.097
503/1	0.024
505/3	0.057
503/2	0.012
503/3	0.012
505/4	0.146
504	0.024
507	0.020
509/2	0.020
527/3, 528, 529, 530	0.227
480	0.016
518/2	0.020
523/3, 525/1, 525/2	0.064
523/2, 524/1, 526/1	0.257
518/1	0.020
523/4, 525/3, 525/4	0.068
535	0.154
519/1	0.008
534	0.057
519/2	0.016
522/1	0.065
527/2	0.012
855/2	0.024
531/1, 532/1, 533/1	0.036
531/2, 532/2, 533/2	0.036
521/8	0.024
509/1	0.020
531/3, 532/3, 533/3	0.036
512/2, 513/2	0.008
517/2	0.020
855/1	0.073
512/1, 513/1	0.016
517/1	0.020
522/2	0.036
443/1	0.028
523/1	0.036
520	0.024
527/1	0.202
869	0.077
531/4, 532/4, 533/4	0.036
543/1	0.028
543/2	0.058
441/1	0.006
510	0.008
481	0.020

(1)	(2)
511/1	0.004
815/1	0.052
463	0.016
454, 455, 456	0.056
457/1	0.006
462	0.028
511/2	0.004
815/2	0.053
516/2	0.020
442	0.024
469/2	0.004
योग	2.922

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- शिवरीनारायण बरॉज निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अगस्त 2014

क्रमांक 504.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
623, 624	0.162
635/2, 636/2, 638/2	0.016
635/3, 636/3, 638/3	0.016
635/4, 636/4, 638/4	0.016
635/5, 636/5, 638/5	0.049
636/6	0.097
637	0.158
638/6	0.040
638/7	0.032
638/8	0.032
638/10	0.024
639	0.028
640	0.049
845	0.259
846/1	0.247
846/2	0.210
864/1	0.081
864/2	0.105
864/3	0.089
योग 18	1.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवरीनारायण बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 139/दो-2-9/2005.—श्रीमति अनिता झा, निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर दिनांक 31-07-2014 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश 210 (दो सौ दस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 140/दो-3-19/2000.—श्री संदीप बख्शी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा, दिनांक 31-05-2014 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 26th August 2014

No. 793/Confdl./2014/II-3-14/2000 (Pt.-II).—On the application of Shri Sumit Kumar Soni, Member of Lower Judicial Service and presently posted as V Civil Judge Class-II, Jagdalpur, he is hereby, permitted to prefix "Dr." in his name as "Dr. Sumit Kumar Soni". It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By the order of Hon'ble Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक 150/दो-2-18/2006.—श्री गनपत राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक 151/दो-2-6/2007.—श्री निर्मल मिंज, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, राजनांदगांव (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-07-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक 152/दो-2-20/2007.—श्री शिवमंगल पाण्डेय, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-08-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक 153/दो-3-16/2003.—श्री अनिल कुमार शुक्ला, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र के आधार परे दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक 154/दो-3-16/2003.—श्री अनिल कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.